राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक एफ.11(3)/नाबार्ड/मो/आईसीडीएस/07/20744 जयपुर, दिनांक 22.3.10

प्रेषक :–
शासन उप सचिव,
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति :–
निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आंगनबाडी केन्द्र निर्माण हेतु राशि जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

विषयान्तर्गत निम्नलिखित जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल 998.93 लाख रूपये (अक्षरे रूपये नौ सौ अठानवे लाख तिरानवे हजार मात्र) की राशि को उनके निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय की ओर से एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)	निर्माण कार्यों की संख्या	जी.के.एन. के अनुसार इकाई लागत	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जाने वाली राशि
1	अलवर	5	2.96	14.80
2	बांरा	34	1.99	67.66
3	भरतपुर	3	2.00	6.00
4	भीलवाडा	55	3.15	173.25
5	बीकानेर	3	2.25	6.75
6	बून्दी	20	3.25	65.00
7	चित्तौडगढ	57	2.40	136.80
8	दौसा	25	2.45	61.25
9	हनुमानगढ	15	2.68	40.20
10	जयपुर	21	2.80	58.80
11	झुन्झुनू	33	2.00	66.00
12	जोधपुर	24	2.80	67.20
13	कोटा	20	3.05	61.00
14	राजसमन्द	24	3.00	72.00
15	सीकर	20	1.94	38.80
16	उदयपुर	21	3.02	63.42
	योग	380		998.93

उक्त निर्माण कार्यों का विकलेय मद मांग संख्या–33 में निम्नलिखित होगा :–

4236–पोषण पर पूंजीगत परिव्यय
02–पोषक भोजन एवं सुपेय का वितरण
800–अन्य व्यय
(08)–नाबार्ड पोषित आंगनबाडी भवन निर्माण।

जिला परिषदों को स्वीकृत राशि का उपयोग उपरोक्तानुसार जिलों में आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण पर किया जा सकेगा। इस हेतु विभाग के पत्र क्रमांक प.29(1)(1)भ.नि./06/10739 दिनांक 22.07.06 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी आवश्यक होगी। प्रति आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण की इकाई लागत जिलों की जी.के.एन. के अनुसार निर्धारित की गई है। इन भवन निर्माण कार्यों हेतु शर्तें निम्नलिखत अनुसार हैः–

1. आंगनबाडी भवन विभाग द्वारा निर्धारित नक्शे के अनुरूप करवाये जायेगे।
2. आंगनबाडी भवन निर्माण कार्य वर्तमान में प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार इकाई लागत के अनुरूप होगे।
3. आंगनबाडी भवन निर्माण कार्यो पर किसी प्रकार का कोई प्रोरेटा चार्ज देय नहीं होगा।
4. आंगनबाडी भवन निर्माण कार्य की अवधि कार्य प्रारम्भ होने से 3 माह होगी। जिसमें निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा।
5. प्रति आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण की राशि जिलों की जी.के.एन. के अनुसार निर्धारित इकाई लागत के आधार पर आवंटित की जा रही है। वास्तविक व्यय कम रहने पर शेष राशि विभाग को लौटानी होगी। कार्य की स्वीकृति प्राथमिकता से जारी की जावें।
6. आंगनबाडी केन्द्र पर सुलभ शौचालयों का निर्माण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से भी करवाया जा सकता है।
7. उन्हीं गांवों में निर्माण करवाया जावे जहां के लिए स्वीकृति जारी की गई है। ग्रामों/आंगनबाडी केन्द्रों की सूची संलग्न है।
8. निःशुल्क भूमि के पट्टे पंचायत से प्राप्त होने पर आवंटित भूमि के स्थल का संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी से मौका मुआयना करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे तथा जिस स्थान का पट्टा दिया गया है, उसी स्थान पर निर्माण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. भवन के कब्जे, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मय खिडकी, दरवाजे, रंग, पुताई, फर्श आदि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही प्राप्त किये जा सकेगे।
10. इस प्रयोजनार्थ उपयोग में ली गई राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ को भिजवाये जाने होगे।
11. इस राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार नवीन आंगनबाडी भवन निर्माण पर ही किया जावे।
12. इस राशि के व्यय के पश्चात जिला परिषद राशि के अंकेक्षित लेखे एवं जिस कार्य हेतु राशि दी गई है, उसी कार्य में उपयोग लिये जाने का प्रमाण–पत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विभाग को भिजवायें। जिला परिषद नियमित रूप से योजना का प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में प्रतिमाह भिजवायेगे। साथ ही जो भी सूचना राज्य सरकार द्वारा चाही जावे, उपलब्ध करवायेगे।
13. जिला परिषद द्वारा इस योजना के लेखे पृथक से रखे जावेगे। जिसकी महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा जांच की जा सकेगी।
14. आंगनबाडी भवन निर्माण की गुणवत्ता तथा नियत अवधि तक कार्यशीलता का उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा। सामन्यतः भवन का जीवनकाल (Self Life) सौ वर्ष माना गया है। इससे पहले अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त भवन के पूर्णतः अनुपयोगी होने तथा क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में निर्माणकर्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी व भवन की मरम्मत का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आईडी संख्या 161000040 दिनांक 18.03.2010 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

शासन उप सचिव,
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.11(3)/नाबार्ड/मो/आईसीडीएस/07/20755-80 जयपुर, दिनांक 22-3-10

प्रतिलिपि :-- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित जिला कोषालय को उक्त विवरणानुसार राशि रूपये 998.93 लाख जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित कराये जाने की स्वीकृति शीघ्र प्रसारित कर सूचित करने का श्रम करावें।
4. आयुक्त, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
5. शासन उप सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग/आयोजना (ग्रुप-4) विभाग/जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. जनरल मैनेजर, नाबार्ड 3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, पी.बी. नं. 104, जयपुर-302015
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित
8. उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, संबंधित।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, संबंधित।
10. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।

शासन उप सचिव,
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

वित्त विभाग
(आय–व्यय अनुभाग)

क्रमांक प.4 (98)/वित्त–1(1)आय.व्यय/2008 जयपुर दिनांक 25.03.2010

कोषाधिकारी सबंधित।

स्वीकृति संख्या 696/2009–10

विषय:– वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभिन्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषदों के पी.डी. खातों में राशि रूपये 998.93 लाख के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपशासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के क्रमांक एफ 11(3)नाबार्ड/मी./आईसीडीएस/07/20744 दिनांक 22.03.2010 में अंकित शर्तों के अनुसार विभिन्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषदों के पी.डी. खातों में राशि रूपये 998.93 लाख, (अक्षरे रूपये नौ सौ अठानवे लाख तिरानवे हजार मात्र) की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे।

मांग संख्या 33
4236–पोषण पर पूंजीगत परिव्यय
02–पोषक भोजन एवं सुपेय का वितरण
800–अन्य व्यय
(08) नाबार्ड पोषित आंगनबाडी भवन निर्माण
17–वृहद निर्माण कार्य (आयोजन व्यय)

रूपये 998.93 लाख मात्र

क्र.सं.	नाम जिला परिषद् (जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	राशि (रु. लाखों में)
1	अलवर	14.80
2	बांरा	67.66
3	भरतपुर	6.00
4	भीलवाडा	173.25
5	बीकानेर	6.75
6	बून्दी	65.00
7	चित्तौड़गढ़	136.80
8	दौसा	61.25
9	हनुमानगढ़	40.20
10	जयपुर	58.80
11	झुन्झुनू	66.00
12	जोधपुर	67.20
13	कोटा	61.00
14	राजसमन्द	72.00
15	सीकर	38.80
16	उदयपुर	63.42
	योग	998.93

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिये ही किया जावेगा किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जावेगा।

भवदीय
25/03/10
(सुधीर शर्मा)
उप शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:–
1. महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा– प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक पदेन उप शासन सचिव, समेकित बाल विकास विभाग। (जल पथ गांधी नगर)
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–II) विभाग।
4. संबंधित विभिन्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद।
5. एसीपी, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. लेखाकार, वित्त (विभाग)।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव वित्त (बजट)